मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

क्रमांक: बी–14/4/2004/14–2 भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 04

आदेश

बीजों की गुणवत्ता एवं अंकुरण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जिला स्तर पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जावे । जाँच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है:–

1. उप संचालक कृषि या उसका अधिकृत प्रतिनिधि (सहायक संचालक कृषि स्तर से कम नहीं) (संबंधित जिला) – अध्यक्ष
2. कृषि वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि महाविद्यालय ,जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय
3. सहायक बीज प्रमाणिकरण अधिकारी
4. संबंधित बीज प्रकिया प्रभारी/संस्था का प्रतिनिधि

21.9

(डॉ.डी.एन.शर्मा)
उप सचिव कृषि
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

क्रमांक::बी–14/4/2004/14–2 भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2004
प्रतिलिपि:--

1. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर ।
2. संचालक कृषि,मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स भोपाल
4. प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था भोपाल ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, भोपाल ।
6. उप संचालक कृषि, जिला.....................

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

21.9

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

No. 13-49/2014-SD IV(PL)
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
(Seed Division - IV)

B-116, Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 29th April 20[illegible]

OFFICE MEMORANDUM

It has been brought to the notice of this office that some of the State Agricultural Department authorities are insisting on the seed companies to obtain seed dealer license, SAUs trials, sales permission / State Registration for selling storage, export and import of seeds in their States irrespective of whether they are selling the seeds directly through their sales outlet or selling the seeds through dealers / distributors having valid seed dealer license (Form-B) issued by the concerned State authorities.

In this context it is clarified that as per the Seeds (Control) Order, 1983 for carrying out the seed business in the State, seed dealer has to take compulsory license from the State Licensing Authority. However, no separate seed dealer license is required, if the company does not have their storage point or sale outlet in the particular State and they are selling the seeds through the dealers / distributor having the valid license issued by the State Government. Similarly, under Clause 13(1)(a) of the Seed (Control) Order with a view to secure compliance of this order, the dealer may be asked to give any information in his possession with respect to purchase, storage and sale of seeds by him to the State Government. Moreover, in the Seeds (Control) Order 1983 there is no specific mention about SAUs trial in the State and registration of varieties being a prerequisite for marketing of seeds in a State.

(R.K. Trivedi)
Deputy Commissioner(QC)

संचालनालय किसान कल्याण तथा
कृषि विकास, म0प्र0भोपाल

क्रमांक/ई-1-सी/2/04/561 भोपाल, दिनांक/2 जून, 08

प्रति,

1- संयुक्त संचालक कृषि,
संभाग ---------------- (समस्त)

2- उप संचालक कृषि,
जिला ---------------- (समस्त)

विषय :- शासकीय संस्थाओं के माध्यम से सत्यरूप बीज वितरण के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक बी-14/4/2004/14-2 दिनांक 31-3-2004

--x--

उपरोक्त संदर्भित विषयांकित पत्र के संबंध में लेख है कि शासन द्वारा शासकीय संस्थाओं के माध्यम से सत्यरूप बीज के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था परन्तु इस पत्र का आशय स्पष्ट है कि यह आदेश निजी संस्थाओं पर लागू नहीं होता है फिर भी संचालनालय के पत्र क्रमांक ई-1-सी/4/270 दिनांक 7-4-04 के द्वारा शासन के मूल पत्र पर पृष्ठांकन में संयुक्त संचालक कृषि (बीज) द्वारा शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त निजी संस्थाओं का नाम भी जोड़ दिया गया था। जबकि शासन का ऐसा कोई निर्देश नहीं था। अतः एतद् द्वारा उक्त निर्देश/आदेश निरस्त किया जाता है।

संचालक कृषि
म0प्र0भोपाल

क्रमांक/ई-1-सी/2/04/562 भोपाल, दिनांक/2 जून, 08

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2- निदेशक, सीड एशोसियेशन, म0प्र0, 116, सिल्वर सेन्चोरा, 7, आरएनटी. मार्ग, इन्दौर।

3- उप संचालक कृषि, होशंगाबाद की ओर भेजकर लेख है कि आपका पत्र क्रमांक जी2ए/बीज/08-09/525 दिनांक 21-5-08 में आपके द्वारा उक्त निर्देशों के तारतम्य में जिन निजी संस्थाओं का सत्यरूप लेबल के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया उनको निरस्त करें तथा की गई कार्यवाही से तत्काल संचालनालय को सूचित करें।

संचालक कृषि
म0प्र0भोपाल